

# दालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/259/2021

तारीख रजु.....

ललितकिशोर

बनाम

दीपक वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.12.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्इद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 118, 124, 129, 134/254, 134/257, 140, 141, 172/258, 174, 213, 214, 215, 218, 224, 225, 40, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 6, 77, 81, 86/264, 96/263, वाके ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन ज्ञाप्ति किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 22.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>1050 17.12.21</p>

सपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

22.12.21

उपोस्थात ।  
साप्तिक आदेश दिनांक 6/12/21  
की पालना में पत्रावली वास्ते 17/12/21 को पेश हो  
दिनांक 7/12/22 को पेश हो

सपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहमद  
की तारीख

7/4/22

कृष्ण जज  
राजस्थान  
प्रथम अपील विभाग 6/11/22  
की प्रस्ताव में प्रस्तावित वास्तु 28/4/22 को पेश हो  
दिनांक 28/4/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी  
अहमद

28/4/22

कृष्ण जज  
राजस्थान  
प्रथम अपील विभाग  
की प्रस्ताव में प्रस्तावित वास्तु 28/6/22 को पेश हो  
दिनांक 28/6/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी  
अहमद

28/8/22

सुभाष चंद्र बोस एच.प.ओ.  
वास्तु 28/8/22 को पेश हो  
दिनांक 30/8/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी

30/8/22 सुभाष चंद्र बोस एच.प.ओ.  
वास्तु 30/8/22 को पेश हो  
दिनांक 3/11/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी

3/11/22

कृष्ण जज  
राजस्थान  
प्रथम अपील विभाग  
की प्रस्ताव में प्रस्तावित वास्तु 18/11/22 को पेश हो  
दिनांक 18/11/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी  
अहमद

18/11/22

कृष्ण जज 30/8/22 कृष्ण जज अपनी 30/8/22  
पत्र को और प्रस्तावित नहीं करते हैं अर्थात् 30/8/22 को  
रजपट्टा को Not proceed कर दिया है अर्थात् 30/8/22 को  
30/8/22 कृष्ण जज के Not proceed की कार्यवाही  
किया जाता है प्रस्तावित वास्तु 28/8/22 को पेश हो  
दिनांक 18/11/22 को पेश हो

रजपट्टा अधिकारी  
अहमद

Not Pressed  
Aha